

**न्यायालय: श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-730 / 2012
संस्थित दिनांक-06.09.2012
फाइलिंग क्र. 234503002382013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1-रविदास पिता गोपाल दास, उम्र-19 वर्ष, जाति पनिका
निवासी-ग्राम छपारा, थाना बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-ललिताबाई पति गोपालदास पनिका, उम्र-40 वर्ष,
निवासी-ग्राम छपारा, थाना बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-05/05/2016 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-09.08.2012 को शाम करीब 4:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम छपारा में लोक स्थान या उसके समीप फरियादी दीपचंद को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर आहत दीपचंद को ईंट से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी दीपचंद ने थाना बैहर में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक-09.08.2014 को शाम 4:00 बजे गांव के अमोलदास के जानवर ने उसके खेत में नुकसान किया था। उसका लड़का भुनेश्वर और टीनू जानवरों को कांजी हाउस लेकर जा रहे थे, तो उन्हें देखकर ललिताबाई बोली कि उसके जानवरों ने नुकसान नहीं पहुंचाया है और उसके जानवरों को कांजी हाउस क्यों ले जा रहे हो, यह कहकर वह उसके लड़कों के साथ गाली-गलौज करने लगी और साले मादरचोद, बहनचोद की गंदी-गंदी गालियां देकर ईंट उठाकर उसके बाएं मस्तक व बाईं आंख में मार दिया, जिससे उसे चोट लगी थी। पुलिस द्वारा

आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक-116 अंतर्गत धारा-294, 336 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, आरोपी से घटना में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा जप्त किया गया तथा साक्षियों के कथन लेकर आरोपीगण को गिरफ्तार कर शेष अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1— क्या आरोपीगण ने दिनांक-09.08.2012 को शाम करीब 4:00 बजे थाना बौहर अंतर्गत ग्राम छपारा में लोक स्थान या उसके समीप फरियादी दीपचंद को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2— क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत दीपचंद को ईंट से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु कमांक-1 का निष्कर्ष :-

5— अभियोजन साक्षी दीपचंद (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में अश्लील गालियां देने के विषय में कोई भी कथन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी लक्ष्मणप्रसाद (अ.सा.2), रामबाई (अ.सा.4) ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में अश्लील गालियां दिए जाने के विषय में कोई कथन नहीं किये हैं। साक्षी भूनेश्वर (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि आरोपीगण उसके पिता को माँ-बहन की गालियां दे रहा था, परंतु साक्षी के कथनों में यह बात प्रकट नहीं हुई कि अश्लील गालियां सुनकर उसे क्षोभ कारित हुआ था। शेष अभियोजन साक्षियों के कथनों से भी आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 का अपराध किये जाने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहे हैं। अतएव आरोपीगण रविदास व ललिताबाई को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया

जाता है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-2 का निष्कर्ष :-

6— दीपचंद (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि घटना वर्ष 2012 की ग्राम छपारा की है। आरोपीगण के मवेशी उसके खेत में नुकसान कर रहे थे, तो वह मवेशियों को कांजी हाउस ले जा रहा था। इसी बात पर आरोपी ललिताबाई उसे मारने दौड़ी और उसका पुत्र भी ईंट लेकर आया और उसके सिर पर ईंट से चोट पहुंचाई। इसके पश्चात् उसने थाना बैहर में आकर आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लेख कराई थी, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान दर्ज किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने स्वयं आरोपीगण के साथ मारपीट की थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी साक्षी ने इंकार किया कि घटना के समय उसने शराब पी थी और गिरने से उसे चोट आई थी।

7— अभियोजन साक्षी लक्ष्मणप्रसाद (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक-09.08.2012 को आहत दीपचंद व रविदास का विवाद हो रहा था, जिसमें आरोपी रविदास ने दीपचंद को ईंट से आंख के उपर मारा था। वह आहत दीपचंद को बैहर अस्पताल लेकर गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपी को आहत दीपचंद को ईंट से मारते हुए नहीं देखा। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आपसी विवाद में आहत को गिरने से चोट आई थी। रामबाई (अ.सा.4) ने अभियोजन कहानी का समर्थन कर यह कहा है कि घटना दिनांक को उसके सामने आरोपी रविदास ने ईंट से आहत दीपचंद को मारा था, जिससे उसके सिर पर चोट आई थी। साक्षी ने भी बचाव पक्ष के सुझाव से इंकार किया है कि उसने अपने सामने मारपीट होते हुए नहीं देखी थी। भुनेश्वर (अ. सा.5) ने अभियोजन कहानी का समर्थन कर यह कहा है कि आरोपी रविदास ने उसके पिता को ईंट से मारा था, जिससे उसे खून निकला था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय वह स्कूल गया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसके पिता को गिर जाने के कारण चोट लगी थी।

8— कानूसिंह खण्डाते (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-09.08.2012 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 प्रधान आरक्षक जग्गूलाल वाघाड़े के द्वारा लेख की गई है, जिसके बी से बी भाग पर प्रधान आरक्षक जग्गूलाल वाघाड़े के हस्ताक्षर हैं, जिसे वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। प्रदर्श पी-1 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-116, धारा-294, 336 भा.द.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-10.08.2012 को दीपचंद की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-25.08.2012 को आरोपी रविदास से साक्षियों के समक्ष एक ईंट का टुकड़ा प्रदर्श पी-3 के अनुसार जप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी रविदास, ललिताबाई को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारीपत्रक प्रदर्श पी-4 एवं 5 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर उसके दिनांक-10.08.2012 को हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसे आहत ने यह भी बताया था कि उसे आरोपी ने 10 फुट दूर से पत्थर फेंककर मारा था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसने विवेचना की कार्यवाही अपने मन से की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने मौकानक्शा पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। उपरोक्त स्वीकारोक्ति विवेचना के संबंध में त्रुटियों के विषय में हैं परंतु इससे घटना के घटित होने में तात्त्विक विरोधाभास नहीं माना जा सकता।

9— फरियादी दीपचंद (अ.सा.1), लक्ष्मणप्रसाद (अ.सा.2), रामबाई (अ.सा.4) तथा भूनेश्वर (अ.सा.5) ने घटना का विवरण एक समान किया है और कहा है कि मवेशी चराने की बात को लेकर आरोपीगण ने विवाद किया था और आरोपी ललिताबाई, उसका पुत्र रविदास ने ईंट उठाकर आहत दीपचंद को मारी थी, जिससे उसे सिर पर चोट आई थी। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट, घटना दिनांक को ही पुलिस थाना बैहर में दर्ज कराई गई थी। घटना का समय जहां 4 बजे बताया गया है, वहीं प्रथम सूचना रिपोर्ट 6:15 मिनट का लेख कराया जाना प्रदर्श पी-1 प्रथम सूचना रिपोर्ट से दर्शित है। इस प्रकार बिना किसी विलंब के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना फरियादी

पक्ष द्वारा दर्ज कराई गई। मौके पर उपस्थित अभियोजन साक्षी लक्ष्मणप्रसाद (अ.सा.2), रामबाई (अ.सा.4) तथा भूनेश्वर (अ.सा.5) अपने प्रतिपरीक्षण में इस बिन्दु पर अखण्डित रहे हैं कि घटना दिनांक को आरोपी रविदास ने आहत दीपचंद को ईंट से मारकर चोट नहीं पहुंचाई थी।

10— प्रकरण में चिकित्सक साक्षी का परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अनेक न्याय सिद्धांतों में यह प्रतिपादित किया है कि साधारण प्रकृति की उपहति होने पर चिकित्सीय रिपोर्ट का प्रकरण में प्रस्तुत किया जाना अथवा उसका प्रमाणित होना आवश्यक नहीं है। यदि फरियादी पक्ष का न्यायालयीन परीक्षण पर्याप्त हो और विसंगति न हो तो साधारण प्रकृति की चोट के विषय में आरोपीगण को दोषसिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकरण में भी मौके पर उपस्थित चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा अपने न्यायालयीन परीक्षण में इस बिन्दु पर अखण्डित साक्ष्य प्रस्तुत की गई है कि घटना दिनांक को आरोपी रविदास ने आहत दीपचंद को ईंट मारकर उपहति कारित की थी। आरोपी ललिताबाई भी मौके पर उपस्थित थी एवं उसने विवाद में सक्रिय सहयोग प्रदान किया था। इस बात का भी उल्लेख उपरोक्त अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन परीक्षण से प्रमाणित हो रहा है। अतः आरोपीगण रविदास व ललिताबाई को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने से दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

11— आरोपीगण द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुये तथा इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अतः दंड के प्रश्न पर आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुने जाने हेतु निर्णय कुछ देर बाद पुनः प्रस्तुत हो।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, जिला बालाघाट

पुनश्च:-

12— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता को दंड के प्रश्न पर सुना गया। उनका कहना है कि आरोपीगण द्वारा यह अपराध प्रथम बार किया गया है। घटना अब पुरानी हो गई है। आरोपीगण तथा फरियादी पक्ष एक ही गांव में रहते हैं और उनके मध्य अब

अच्छे संबंध हैं। अतः आरोपीगण को सरल दंड दिया जावे।

13- आरोपीगण के द्वारा भा.द.सं. की धारा-323 के अंतर्गत अपराध किया जाना प्रमाणित पाया गया है। आरोपीगण द्वारा भा.द.सं. की धारा-323 के अपराध के लिए न्यायालय अवसान अवधि तक का कारावास तथा 200/-रूपये प्रत्येक आरोपी को अर्थदंड का भुगतान किये जाने का दंड दिया जाता है। अर्थ दंड की राशि न चुकाये जाने की दशा में आरोपीगण को सात दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

14- प्रकरण में जप्तशुदा ईट का टुकड़ा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत हो।

15- प्रकरण में आहत दीपचंद को जुर्माने की राशि में से रूपये 100/-प्रतिकर स्वरूप अंतर्गत धारा 357(ख) दप्रसं0 अपील अवधि पश्चात प्रदान किया जावे।

16- प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द0प्र0सं0 की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।

17- आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें है। उक्त के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

18- आरोपीगण को निर्णय की एक एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया
गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/-

बैहर,
दिनांक-05.05.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट